प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्र. 935 / 2011

अपीलार्थी श्रीमती पी. नारायणम्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,
बिलासपुर

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत अपील

युगलपीठ: माननीय अभय मनोहर सप्रे एवं

माननीय श्री जी. मिन्हाज़ुद्दीन, न्यायमूर्तिगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती रेनू कोचर अधिवक्ता

रेलवे की ओर से स्थायी अधिवक्ता: श्री अभिषेक सिन्हा एवं श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता

आदेश (मौखिक)

(आज दिनांक 22 जनवरी, 2013 को पारित)

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ती के अनुसार

(1) यह अपील अपीलार्थी/दावेदार द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (जिसे इसके बाद संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 30 के तहत, कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, दुर्ग (श्रम न्यायालय, दुर्ग) (जिसे इसके आगे संक्षेप में 'आयुक्त' कहा गया है) द्वारा दिनांक 6.7.2011 को प्रकरण क्र. 85/2009/क.प्र.अधि./घातक में पारित पंचाट के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) आक्षेपित पंचाट के माध्यम से, आयुक्त ने यहाँ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और पी. जोगलू की मृत्यु के लिए कुल 2,42,100/- रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में प्रदान की, जिन्हें नियोजन के दौरान हुई एक दुर्घटना में क्षतियां कारित हुई थी और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया था। आगे यह निर्देशित किया गया था कि यदि नियोक्ता द्वारा पंचाट की राशि पंचाट की तिथि से एक महीने के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो प्रदान की गई राशि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदान की गई कुल राशि में से 1,50,000/- रुपये की राशि सात वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा रसीद योजना में रखी जाएगी और शेष 84,320/- रुपये की राशि अपीलार्थी/दावेदार के बचत बैंक खाते में उसे भुगतान किए जाने हेतु जमा की जाएगी। इसी पंचाट को दावेदार ने अधिनियम की धारा 30 के तहत यह अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी है।

(3) इस अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया क्योंकि हमारी राय में इसमें विधि का सारभूत प्रश्न सम्मिलित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) प्रकरण के तथ्य बहुत संक्षिप्त हैं। हालाँकि, उनका आगे उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(5) अपीलार्थी पी. जोगलू की पत्नी है, जो प्रत्यर्थी-रेलवे के लिए तकनीशियन के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 20 सितंबर, 2006 को, पी. जोगलू अपने काम के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गए और बाद में दुर्घटना में आई क्षतियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनकी आयु 59 वर्ष थी और वे वेतन के रूप में लगभग 12,281/- रुपये प्रति माह अर्जित रहे थे।

(6) उनकी विधवा होने के नाते अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रत्यर्थी-रेलवे के विरुद्ध उनकी मृत्यु के लिए प्रतिकर का दावा करते हुए एक दावा याचिका प्रस्तुत की, जिससे यह अपील उद्भूत हुई है। यद्यपि प्रत्यर्थी (नियोक्ता) द्वारा इसका विरोध किया गया था, आयुक्त ने आक्षेपित पंचाट द्वारा दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह माना गया कि दुर्घटना नियोजन के दौरान और नियोजन से उत्पन्न हुई थी। यह भी माना गया कि पी. जोगलू की मृत्यु उन्हें आई क्षतियों के कारण हुई थी। यह भी माना गया कि दावा याचिका अधिनियम की धारा 10 में प्रावधानित परिसीमा द्वारा बाधित थी। इन्हीं निष्कर्षों के साथ, आयुक्त ने दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और ऊपर उल्लिखित ब्याज सहित कुल 2,42,100/- रुपये की राशि का पंचाट दिया। इसी पंचाट के विरुद्ध दावेदार ने खुद को व्यथित महसूस करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। जहाँ तक प्रत्यर्थी का संबंध है, उन्होंने न तो कोई अपील प्रस्तुत की है और न ही कोई आपत्ति।

(7) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुती मूलतः एक ही थी। उनके अनुसार, आयुक्त ने दावेदार को अधिनियम, 1923 की धारा 4ए के अनुसार पंचाट की राशि पर ब्याज न देने में त्रुटि की है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय **प्रताप नारायण सिंह देव विरुद्ध श्रीनिवास सबाता एवं अन्य, (1976) 1 एससीसी 289** का अवलंब लेते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 4ए(3) के अनुसार दावेदार प्रतिकर का भुगतान देय होने की तिथि से पंचाट की राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज पाने का हकदार था। उनके अनुसार, इस प्रकरण में दावेदार को दिनांक 20.9.2006 को राशि देय हो गई थी क्योंकि दुर्घटना दिनांक 20.9.2006 को हुई थी, और फिर भी नियोक्ता दुर्घटना की तिथि से एक महीने के भीतर दावेदार को प्रतिकर का भुगतान करने में विफल रहा। इस प्रकार दावेदार **प्रताप नारायण** प्रकरण (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि के आलोक में दुर्घटना की तिथि से पंचाट की राशि पर 12% की दर से ब्याज का दावा करने का हकदार हो गया।

(8) उत्तर में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित पंचाट का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों, अर्थात् **एआईआर 2007 एससी 1208 (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मुबासिर अहमद एवं अन्य)**, **2009 एआईआर एससीडब्ल्यू 3717 (ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मोहम्मद नासिर एवं अन्य)**, और **(2010) 10 एससीसी 347 (पालराज विरुद्ध मंडल नियंत्रक, उत्तर पूर्व कर्नाटक सड़क परिवहन निगम)** का अवलंब लिया और तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी दिनांक 20.9.2006 से पंचाट की राशि पर ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं था, बल्कि इन तीन मामलों में निर्धारित विधि के आलोक में केवल पंचाट की तिथि से ब्याज का दावा करने का हकदार था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में बल पाते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने के इच्छुक हैं और परिणामस्वरूप अपीलार्थी के पक्ष में पंचाट को नीचे दर्शाई गई सीमा के अनुसार संशोधित करते हैं।

(10) यह प्रश्न कि अधिनियम के तहत प्रतिकर कब देय होता है, या दूसरे शब्दों में, जैसा कि धारा 4-ए में प्रावधान है, संबंधित कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा भुगतान के लिए यह कब देय माना जाता है, अब *रेस इंटेग्रा* अर्थात अनिर्णित नहीं रह गया है और उच्चतम न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय **प्रताप नारायण सिंह देव** (पूर्वोक्त) में पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। इसी मामले में, न्यायमूर्ति सिंघल ने पीठ की ओर से बोलते हुए यह माना है कि नियोक्ता प्राथमिक रूप से

प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी तब हो जाता है जैसे ही दुर्घटना के कारण कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति पहुँचती है, जो नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न हुई हो। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यही अभिनिर्धारित था:

> "यह तर्क देना गलत है कि प्रतिकर तब तक देय नहीं हुआ था जब तक कि आयुक्त द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 6 मई, 1969 के तहत धारा 19 के अंतर्गत इसे तय नहीं कर लिया गया। नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी तब हो गया जैसे ही दुर्घटना के कारण कर्मचारी को व्यक्तिगत चोट लगी, जो स्वीकृत रूप से नियोजन के दौरान और उसके कारण हुई थी। समझौते तक प्रतिकर का निलंबन नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 4ए(1) के तहत अपीलार्थी का यह कर्तव्य था कि वह धारा 4 द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिकर का भुगतान करे, जैसे ही प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत क्षति हुई।"

(बल दिया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) इसी दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय **केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य विरुद्ध वलसाला के. और अन्य**, (1999) 8 एससीसी 254 में प्रकाशित में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया था।

> "3. इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रताप नारायण सिंह देव विरुद्ध श्रीनिवास सबता में, न्यायमूर्ति सिंघल के माध्यम से बोलते हुए, यह माना है कि नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी तब हो जाता है जैसे ही दुर्घटना के कारण कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति पहुँचती है जो नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार, प्रतिकर की दर निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि दुर्घटना की तिथि है न कि दावे के न्यायनिर्णयन की तिथि।"

> "5. हमारा ध्यान केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध अलावी में दिए गए निर्णय की ओर भी आकर्षित हुआ है, जहाँ पूर्ण पीठ ने ठीक इसी प्रश्न पर विचार किया था और उपरोक्त दोनों निर्णय की जाँच की। उसने यह राय व्यक्त की कि घायल कर्मचारी प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार उसी क्षण हो जाता है जब उसे अधिनियम में परिकल्पित प्रकार की व्यक्तिगत क्षतियाँ पहुँचती हैं, उस समय

दुर्घटना की तिथि पर देय क्षतिपूर्ति राशि प्रासंगिक होती है, न कि 1995 में किए गए संशोधन के कारण देय क्षतिपूर्ति राशि। केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय, जिस हद तक वह इस न्यायालय की बड़ी पीठ के निर्णय प्रताप नारायण सिंह देव विरुद्ध श्रीनिवास सबता के अनुरूप है, सही विधि निर्धारित करता है और हम इसे अनुमोदित करते हैं।"

(बल दिया गया)

(12) हम यहाँ यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने **प्रताप नारायण सिंह देव** (पूर्वोक्त) और **केरल राज्य विद्युत बोर्ड विरुद्ध वलसाला के.** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मुबासिर अहमद (पूर्वोक्त) के मामले में अपनाया था। यह विपरीत दृष्टिकोण दो पूर्ववर्ती निर्णयों को देखे बिना लिया गया था, जो बड़ी पीठों द्वारा दिए गए थे, **मुबासिर अहमद** मामले में अन्य बातों के अलावा यह निर्णित किया गया था कि प्रतिकर के भुगतान के लिए सुसंगत तिथि वह होगी जब आयुक्त द्वारा अधिनियम के तहत पंचाट पारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मुबासिर अहमद** (पूर्वोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिकर तभी देय होता है या भुगतान के लिए परिपक्व होता है जब आयुक्त द्वारा पंचाट पारित किया जाता है। इस दृष्टिकोण का पालन उच्चतम न्यायालय ने, **प्रताप नारायण सिंह देव** (पूर्वोक्त) और **केरल राज्य विद्युत बोर्ड विरुद्ध वलसाला के.** (पूर्वोक्त) में प्रकाशित किए गए दो वृहद पीठों के निर्णयों के पूर्ववर्ती दृष्टिकोण को देखे बिना, फिर से एक अन्य मामले, अर्थात् **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध मोहम्मद नासिर** (पूर्वोक्त) में 2009 में दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) इस विवाद्क पर दो दृष्टिकोणों के इस संघर्ष को उच्चतम न्यायालय ने **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सिबी जॉर्ज और अन्य**, **2012 एसीजे 2126** में प्रकाशित किए गए निर्णय में ध्यान में लिया। उनके लॉर्डशिप ने इस मामले में पूर्ववर्ती दो वृहद पीठों के निर्णयों का संज्ञान लिया और उनके अनुपात का विश्लेषण करते हुए माना कि **मुबासिर अहमद** और **मोहम्मद नासिर** (पूर्वोक्त) में लिया गया दृष्टिकोण *पर इनक्यूरियम* अर्थात असावधानीवश है क्योंकि दोनों ही उच्चतम न्यायालय की दो वृहद पीठों - **प्रताप नारायण** और **वलसाला के.** (पूर्वोक्त) द्वारा पहले से अपनाए गए दृष्टिकोण के विरोध में दिए गए हैं, जो प्रभावी हैं और जिनका संज्ञान नहीं लिया गया था। इसलिए

उनके माननीयों ने **प्रताप नारायण** और **वलसाला के.** (पूर्वोक्त) में अपनाए गए दृष्टिकोण को यह विचार करते हुए पुनः स्थापित कर दिया कि इन दो निर्णयों में अपनाया गया दृष्टिकोण ही इस विवाद्यक पर सही दृष्टिकोण है। न्यायमूर्ति आफताब आलम के माध्यम से उद्घोषित करते हुए माननीयों ने यह माना कि:

> "11. प्रताप नारायण सिंह देव, 1976 एसीजे 141 (एससी) का निर्णय चार न्यायाधीशों की पीठ द्वारा था और वलसाला के., 2000 एसीजे 5 (एससी) का निर्णय इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा था। दोनों निर्णय इस प्रकार मुबासिर अहमद, 2007 एसीजे 845 (एससी) और मोहम्मद नासिर, 2009 एसीजे 2742 (एससी) के मामलों में अदालत पर पूरी तरह से बाध्यकारी थे, जिनमें से प्रत्येक की सुनवाई दो न्यायाधीशों द्वारा की गई थी। लेकिन प्रताप नारायण सिंह देव और वलसाला के. के पूर्ववर्ती निर्णय मुबासिर अहमद और मोहम्मद नासिर के दो बाद के निर्णयों में अदालत के ध्यान में नहीं लाए गए थे।"
>
> 12. प्रताप नारायण सिंह देव, 1976 एसीजे 141 (एससी) और वलसाला के., 2000 एसीजे 5 (एससी) के निर्णयों के आलोक में, यह तर्क देना संभव नहीं है कि प्रतिकर का भुगतान केवल आयुक्त के आदेश के बाद या दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि के संदर्भ में ही देय होगा। मुबासिर अहमद, 2007 एसीजे 845 (एससी) और मोहम्मद नासिर, 2009 एसीजे 2742 (एससी) के निर्णय, जहाँ तक उन्होंने प्रताप नारायण सिंह देव और वलसाला के. के पूर्ववर्ती निर्णयों के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था, सही दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करते हैं और बाध्यकारी मिसाल नहीं बनते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सिबी जॉर्ज** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि के आलोक में जो विधिक स्थिति उभरती है, वह यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रताप नारायण सिंह देव**, 1976 एसीजे 141 (एससी) और **वलसाला के.**, 2000 एसीजे 5 (एससी) में निर्धारित विधि ही प्रभावी बनी हुई है, न कि **मुबासिर अहमद**, 2007 एसीजे 845 (एससी) और **मोहम्मद नासिर**, 2009 एसीजे 2742 (एससी) में दिया गया दृष्टिकोण। दूसरे शब्दों में, विचाराधीन मुद्दे पर बाध्यकारी पूर्व-निर्णय **प्रताप नारायण** और **वलसाला के.** में निर्धारित विधि होगी, न कि **मुबासिर अहमद** और **मोहम्मद नासिर** में जो निर्णित किया गया है, जिसे *पर इनक्यूरियम-अनवधानता के कारण* घोषित किया गया है।

(15) **प्रताप नारायण सिंह देव** और **वलसाला के.** (पूर्वोक्त) में निर्णित विधि यह है कि नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी तब हो जाता है जैसे ही दुर्घटना में कर्मचारी को व्यक्तिगत क्षति पहुँचती है जो नियोजन के दौरान और उसके कारण हुई हो, और इसलिए प्रतिकर के भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए सुसंगत तिथि (यदि दुर्घटना की तिथि से एक महीने के भीतर प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाता है) दुर्घटना की तिथि होगी न कि आयुक्त के पंचाट की तिथि। यह नियम दिया गया है कि अधिनियम की धारा 4ए(3) के अनुसार राशि पर 12% की दर से ब्याज देने का दायित्व दुर्घटना की तिथि से ही शुरू हो जाएगा यदि नियोक्ता द्वारा दुर्घटना की तिथि से एक महीने के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

(16) उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रताप नारायण सिंह देव** (पूर्वोक्त) और **वलसाला के.** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, और उसमें निर्धारित सिद्धांत को प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि आयुक्त ने अपीलार्थी को अधिनियम, 1923 की धारा 4ए(3) में प्रावधान के अनुसार प्रदान की गई राशि पर ब्याज न देने में त्रुटि की है और इसलिए इसमें हस्तक्षेप आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(17) प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, दुर्घटना दिनांक 20.9.2006 को हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पी. जोगलू की मृत्यु हो गई, जबकि नियोक्ता (प्रत्यर्थी) ने 2,34,820/- रुपये की प्रतिकर राशि दिनांक 10.5.2010 को जमा की। उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई धारा 4ए(3) के अनुसार, राशि दुर्घटना की तिथि (20.09.2006) से एक महीने के भीतर, अर्थात् दिनांक 20.10.2006 को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए थी। रेलवे ने वास्तव में प्रतिकर का एक हिस्सा 2,34,820/- रुपये दिनांक 10.05.2010 को जमा किया जबकि शेष राशि 7,280/- रुपये आक्षेपित पंचाट पारित होने के बाद जमा की गई थी।

(18) चूँकि प्रत्यर्थी ने दिनांक 10.5.2010 को 2,34,820/- रुपये जमा किए थे, इसलिए 2,42,100/- रुपये पर 12% की दर से ब्याज दिनांक 20.9.2006 से दिनांक 10.5.2010 तक देय हो गया और उसके बाद अर्थात् 7,280/- रुपये पर दिनांक 10.5.2010 से उसके वास्तविक जमा होने की तिथि तक।

(19) यह हमें प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए अगले प्रश्न पर ले जाता है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आयुक्त ने यह सही मानते हुए कि दावेदार (अपीलार्थी) द्वारा अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रस्तुत दावा याचिका परिसीमा द्वारा बाधित थी, इसे उक्त आधार पर खारिज न करके त्रुटि की है। हमारी राय में इस तर्क में एक से अधिक कारणों से कोई बल नहीं है।

(20) प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी ने आक्षेपित पंचाट की औचित्यता और वैधता पर सवाल उठाते हुए न तो कोई अपील प्रस्तुत की और न ही कोई प्रति-आपत्ति। दूसरे, इस न्यायालय के पास अधिनियम, 1923 की धारा 10 के परंतुक के आधार पर दावा याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने की शक्ति है, यदि न्यायालय के संज्ञान में यह आता है कि दावा याचिका प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है और दावेदार द्वारा ऐसी विलंब को क्षमा करने का मामला बनता है। यह सत्य है कि आयुक्त ने दावेदार के विरुद्ध परिसीमा का निष्कर्ष दर्ज करने के बाद विलंब को क्षमा नहीं किया और दावेदार के पक्ष में गुण दोष के आधार पर दावा याचिका का फैसला करने के लिए आगे बढ़े, फिर भी हमारी सुविचारित राय में, जो विद्वान आयुक्त ने नहीं किया, वह हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का सहारा लेते हुए अपीलार्थी के पक्ष में विलंब को क्षमा करते हुए करेंगे। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धारा 10 के परंतुक आयुक्त को धारा 10 के तहत दावा याचिका प्रस्तुत करने में हुई विलंब को क्षमा करने का अधिकार देते हैं, यदि ऐसे विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हो। विचाराधीन मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में तथा दावा याचिका एवं साक्ष्यों के अवलोकन पर और अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम दावा याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करते हैं क्योंकि क्षमादान के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(21) इस प्रकरण के तथ्य हमें न्यायमूर्ति एम. सी. छागला द्वारा एआईआर 1954 बॉम्बे 50 **(फर्म कालुराम सीताराम विरुद्ध डोमिनियन ऑफ इंडिया)** में प्रकाशित किए गए मामले में की गई सूक्ष्म टिप्पणियों की भी याद दिलाते हैं। इसी मामले में विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने नागरिक और रेलवे के मध्य एक विवाद पर निर्णय करते समय निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं, जिन्हें बाद में उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ:

> "<u>प्रथा - राज्य और नागरिक - तकनीकी तर्क</u>
>
> जब राज्य किसी नागरिक के साथ व्यवहार करता है, तो उसे सामान्यतः नियम-निष्ठा का अवलंब नहीं लेना चाहिए और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का प्रकरण न्यायसंगत है, भले ही उसके लिए विधिक बचाव के रास्ते खुले हों, उसे एक ईमानदार व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहिए।"

(22) इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 सह-पठित अधिनियम की धारा 10 के परंतुक के तहत विलंब को क्षमा करने की हमारी शक्ति तथा अंततः उस कारण की वास्तविकता जिसके लिए दावा याचिका प्रस्तुत की गई थी, हमने दावा याचिका

प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर दिया है, जो लगभग दो वर्ष की अवधि है और दावा याचिका को परिसीमा के भीतर प्रस्तुत माना है।

(23) तदनुसार अपील सफल होती है और इसे एतद्द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित पंचाट को ऊपर बताए गए सीमा तक संशोधित किया जाता है।

(24) आयुक्त को हमारे आदेश के आलोक में ब्याज की गणना करने का निर्देश दिया जाता है और तदनुसार अपीलार्थी/दावेदार को इस आदेश की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर कम निर्धारित की गयी राशि का भुगतान किया जाए।

(25) इस आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की एक प्रति आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

(26) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-	**हस्ताक्षरित/-**
अभय मनोहर सप्रे	**जी. मिन्हाज़ुद्दीन**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ......Adv. Somesh kashyap............